UPBS120004662018

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 314/2018

कृष्ण गोपाल बनाम शीला देवी आदि

27.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। दौरान तर्क पक्षकारों से सुलह समझौते के बारे में पूछा गया, किन्तु अस्वीकार किए जाने की दशा में वादी एवं प्रतिवादी प्रथम वर्ग के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए –

01. क्या वादी वादपत्र में उल्लिखित अभिकथनों के आधार पर विवादित दस्तावेज वसीयतनामा दिनांकित 04.12.2017 को मंसूख करा पाने का अधिकारी है?
02. क्या वादी विवादित मकान हस्व चौहद्दी जैल का मालिक व काबिज है? यदि हां, तो प्रभाव।
03. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
04. क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
05. क्या दावा वादी कालबाधित है?
06. क्या दावा वादी मौन स्वीकृति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?
07. क्या प्रस्तुत वाद को देखने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
08. क्या दावा वादी धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
09. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से बाधित है?
10. क्या दावा वादी धारा 331 जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधित है?
11. क्या दावा वादी में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है?
12. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का हकदार है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 3 व 4 दिनांक 04.12.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।